न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
86 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	06.10.2015	21.10.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री लालचन्द जैन पुत्र प्रेम चन्द जैन एफ.बी.ओ मैसर्स लालचन्द एण्ड कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0निवासी जय हनुमान कॉलोनी बृज लाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज0

2– मैसर्स लालचन्द एण्ड कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–श्री भजन लाल सैनी,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 21.10.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.06.2015 को समय 5.09 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स लालचन्द एण्ड कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री लालचन्द जैन पुत्र प्रेम चन्द जैन एफ.बी.ओ मैसर्स लालचन्द एण्ड कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0निवासी जय हनुमान कॉलोनी बृज लाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **चाय श्री राजस्थानी चाय मूल पैक** (Tea Shree Rajasthani Chai Original Pack) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने ... पर. विक्रेता श्री लालचन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वर्णित नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:30:18 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता लालचन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 30 किलोग्राम का जूट का बैग **चाय श्री राजस्थानी चाय मूल पैक (Tea Shree Rajasthani Chai Original Pack)** रखे हुये मे से 250–250 ग्राम के 8 पैकेट साफ प्रिन्टेड (कुल मात्रा 2.00 किलोग्राम) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री लालचन्द जैन को रू0 360/–अक्षरे तीन सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **चाय श्री राजस्थानी चाय मूल पैक (Tea Shree Rajasthani Chai Original Pack)** 250–250 ग्राम के दो–दो पेकेटो को चार जगह अलग–अलग बाट मापक से तुलवाकर अलग–अलग 500–500 ग्राम के चार भाग तैयार कर साफ व सूखे पोलीथीन मे रखकर प्रत्येक पोलीथीन को एयर टाइटबंद कर चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे रखा एंव प्रत्येक डिब्बे को एयर टाइट बंद कर किया एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1057 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1057 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. लालचन्द जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाध विश्लेषक खा0 सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2015/ दिनांक के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाध विश्लेषक खा0 सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/478/एक्ट/2015/478 दिनांक 24.07[illegible] अनुसार लालचन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया चाय श्री [illegible] मूल पैक (Tea Shree Rajasthani Chai Original Pack) खाद्य सुरक्षा [illegible] मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) [illegible] होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:30:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **चाय श्री राजस्थानी चाय मूल पैक** (Tea Shree Rajasthani Chai Original Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **चाय श्री राजस्थानी चाय मूल पैक** (Tea Shree Rajasthani Chai Original Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **चाय श्री राजस्थानी चाय मूल पैक** (Tea Shree Rajasthani Chai Original Pack) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री लालचन्द जैन पुत्र प्रेम चन्द जैन एफ.बी.ओ मैसर्स लालचन्द एण्ड कम्पनी सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0निवासी जय हनुमान कॉलोनी बृज लाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 21.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

21-10-20

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:30:18 IST
Reason: SelfAttested